2.1.2

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2020–21 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत

GKToshi
प्राचार्य
लाल श्याम शाह
शासकीय नवीन महाविद्यालय
मोहला,जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

Scanned by TapScanner

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला–रायपुर
------00---------

क्रमांक एफ 17–95/2017/38–2 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, दिनांक 29-06-2020
प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर अटल नगर,
रायपुर।

विषयः– **छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2020–21 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत्।**

संदर्भः– **आपका ज्ञापन कमांक 416/149/आउशि/सम/2020 दिनांक 26.05.2020**

-----00-------

विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव का कृपया अवलोकन करें।

2/ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के लिये शैक्षणिक सत्र 2020–21 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति संलग्न प्रेषित है।

कृपया सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(रविन्द्र कुमार मेढेकर)
अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ क्रमांक एफ 17–95/2017/38–2 नवा रायपुर अटल नगर रायपुर, दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
3. गार्ड फाईल।

अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

स.प्र.(डी)
2/7/20

174

G K Joshi
प्राचार्य
लाल श्याम शाह
शासकीय नवीन महाविद्यालय
मोहला, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

Scanned by TapScanner

प्रवेश सूची :–

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियो की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एव जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुकम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियो को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एव स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानातरण प्रमाण–पत्र पर "प्रवेश दिया गया" की मोहर लगाकर उसे रदद करना चाहिये।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात स्थानातरण प्रमाण–पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओ में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/– अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में ***15 सितम्बर*** के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4.5 स्थानातरण प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानातरण प्रमाण–पत्र खो जाने की स्थिति में, विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुकमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।

4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण–पत्र जारी करने के साथ–साथ छात्र से सबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड आदि मे सलिप्त है या नही। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबन्द लिफाफे मे बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहा कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

4.7 राज्य शासन, द्वारा, शासकीय महाविद्यालयो मे अध्ययनरत् स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर की छात्राओं को शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान की गई है। अतः उक्त निर्देशों का पालन किया जाए।

5 **प्रवेश की पात्रता :–**

5.1 **निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :–**

(क) छत्तीसगढ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ मे स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैको तथा भारत सरकार द्वारा सचालित व्यावसायिक सगठनो के कर्मचारी जिनका पदाकन छत्तीसगढ मे है, उनके पुत्र/पुत्रियों एव जम्मू काश्मीर के

Scanned by TapScanner

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

सत्र 2020-21

1 प्रयुक्ति :-

1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।

1.2 प्रवेश के नियमो को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। "प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के प्रथम समेस्टर से है।

2 प्रवेश की तिथि :-

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :-

इस वर्ष विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश हेतु "ऑनलाईन" फार्म जमा कराया जावेगा। जिन महाविद्यालयों के लिए जितने फार्म जमा होंगे, उसे उस महाविद्यालय को प्रेषित किये जायेंगें। ऑनलाईन से प्राप्त आवेदनों में से प्राचार्य, शासन से प्राप्त प्रवेश मार्गदर्शिका सिध्दांत के नियमों के आधार पर प्रवेश प्रदान करेंगे।

(अ) अपरिहार्य कारणों से यदि "ऑफलाईन" आवेदन जमा करना हो तो आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जायेंगे।

(ब) प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जा सकेंगे।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 01 अगस्त से 31 अगस्त तक प्राचार्य स्वयं तथा 15 सितंबर तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 01 अगस्त से तथा अन्य कक्षाओं हेतु परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिवस के भीतर) शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रवेश प्रकिया की जावेगी । परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथिं से 15 दिन तक, जो भी पहले हो मान्य होगी।कंडिका 5.1 (क)

Scanned by TapScanner

विधि संकाय नियमित प्रवेश :-

(क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदको को विधि स्नातक प्रथम वर्ष मे नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एव एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदको को कमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगा।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :-

(क) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45%(अनुसूचित जनजाति/अनसूचित जाति हेतु 40%, अन्य पिछडा वर्ग 42% होगी। तथा विधि स्नातकोत्तर पूर्वाद्व में 55% अंक (अनसूचित जनजाति/ अनूसूचित जाति /ओ.बी.सी हेतु 50%) प्राप्त आवेदकों को नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।"

5.6 AICTE/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाठयक्रमो में प्रवेश/संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।

6 समकक्ष परीक्षा :-

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कौंसिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाए माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य, मान्य बोर्ड की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम सचालित करते हैं, किंतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैम्पर आदि खोलकर छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसे सस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण सस्थाओं की सूची ए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहि विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नही है, की जानकारी प्राचार्य सम्ब विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

6.4 वर्ष 2012 मे प्रारम्भ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualificat Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदको को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय मे स्नातक ·

Scanned by TapScanner

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप मे एक शपथ–पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

7.3 विज्ञान एव अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रो को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8 अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा :–

8.1 *स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।*

8.2 स्नातकोत्तर सैमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी–केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा मे अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 ***विधि स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम एल.एल.बी. के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष*** में निर्धारित एग्रीगेट 48 प्रतिशत् पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त कडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वत निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।

9 प्रवेश हेतु अर्हताएं :–

9.1 **किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में** आगामी वर्ष/ वर्षो में **पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।** यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा, उसे मात्र मूल स्थानातरण प्रमाण–पत्र तथा शपथ–पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

9.2 जिनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नही हुआ हो ऐसे छात्र/छात्राओ को प्रवेश नही देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

9.3 महाविद्यालय मे तोडफोड करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओ का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जॉच करवायें एवं जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त

Scanned by TapScanner

किया जाये। ऐसे छात्र–छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के ... महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

4 **प्रवेश हेतु आयु–सीमा :–**

(क) स्नातक प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवेदित वर्ष के एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी। डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा में प्रवेश हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष मान्य की जाएगी।

(ख) आयु सीमा का बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/ कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा आयोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में पेमेंटसीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।

(ग) विधि संकाय में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान समाप्त किया जाता है।

(घ) संस्कृत महाविद्यालय में प्रवेश हेतु स्नातक प्रथम वर्ष में 25 वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

(ड) विधि संकाय को छोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/ /महिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी। निःशक्त अभ्यर्थी/ आवेदकों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. **प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :–**

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग–अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

11 **प्रवेश हेतु प्राथमिकता :–**

11.1 *स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी।*

Scanned by TapScanner

स्नातक / स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा मे उत्तीर्ण नियमित / उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित / एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित / स्वाध्यायी विद्यार्थियो के क्रम मे होगा।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य कम यथावत रहेगा।

11.4 स्नातक स्तर के त्रिवर्षीय पाठ्यकम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य स्थानों / तहसीलों / जिलों के निवासरत् अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक विद्यार्थीयों को भी गुणानुकम से प्रवेश दिया जाए।

11.5 किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12 आरक्षण– छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :–

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात् :–

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा मे वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत सीटे अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगीं। परन्तु, जहाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत कम में पात्र विद्यार्थियों मे से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क) (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिको /भूतपूर्व सैनिक, स्वतत्रता सग्राम सेनानियो के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतत्रता सग्राम सेनानियो के पुत्र–पुत्रियों, पौत्र, पौत्रियों और नाती / नातिन के लि 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत स्था आरक्षित रहेंगे।

Scanned by TapScanner

(छ) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी. / एन.एस.एस. कटिन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को — 05 प्रतिशत

(छ) राज्यपाल स्काउट्स — 05 प्रतिशत

(ज) राष्ट्रपति स्काउटस — 10 प्रतिशत

(झ) छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. केडेट — 10 प्रतिशत

(य) ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. केडेट — 10 प्रतिशत

(र) भारत एव अन्य राष्ट्रो के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडेट, एन.सी.सी / एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को, अन्तर्राष्ट्रीय जम्बूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को — 15 प्रतिशत

13.2 आनर्स विषय पाठ्यकम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा मे उसी विषय में प्रवेश लेने पर — 10 प्रतिशत

13.3 खेलकूद / साहित्यिक / सांस्कृतिक / क्विज / रूपांकन प्रतियोगिताएं :–

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर सभाग / क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :–

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को — 02 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को — 04 प्रतिशत

(2) उपर्युक्त कंडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग / संचालनालय द्वारा आयोजित अन्तर्संभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर्क्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :–

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को — 06 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता मे उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को — 07 प्रतिशत

(ग) संभाग / क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को — 05 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय सघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :–

(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को — 15 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को — 12 प्रतिशत

(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को — 10 प्रतिशत

Scanned by TapScanner

15. शोध छात्र

शासकीय महाविद्यालयों मे पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय, प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेगे प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच–डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय मे पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमो के अतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप मे कार्यरत है तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण–पत्र एव प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति मे शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालयों के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे। <u>संबंधित विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश के साथ सहपठित करते हुए लागू होगा।</u>

16 **विशेष** :–

16.1 जाली प्रमाण–पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 मे वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणो मे लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण मे मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण / मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ, रायपुर से प्राप्त करेंगे. प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।

16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धातो मे उल्लेखित प्रावधानो की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग का है। इन मार्गदर्शक सिद्धातो मे समय–समय पर परिवर्तन / संशोधन / निरस्तीकरण का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

प्राचार्य
लाल श्याम शाह
शासकीय नवीन महाविद्यालय
मोहला, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

Scanned by TapScanner

LATE LAL SHYAM SHAH GOVT. NAVEEN COLLEGE MOHLA (C.G.)

In our college students are given admission on the basis of admission rules according to the Government of Chhattisgarh. On the basis of this rule, there is a provision to reserve 32% seats for Scheduled Tribes, 12% for Scheduled Castes and 14% for Other Backward Classes.Total 58% seats are available for reserved categories in which 5% seats are given to students with disabilities and 3% seats are given to students from the families of freedom fighters.Remaining 34% seats are available as a unreserved seats. All seats are filled on the basis of merit.If reserved seats are vacant on the closing dates so this seats are filled by the other eligible students.

In this college the availability of seats are as follows:-

CLASS	TOTAL SEAT	GEN 34%	ST 32%		SC 12%		OBC 14%		FF 3%	PH 5%
			OPEN	FEMALE	OPEN	FEMALE	OPEN	FEMALE		
B.A. I	180	61	39	19	15	7	17	8	5	9
			58		22		25			
B.COM.I	80	27	18	8	7	3	8	3	2	4
			26		10		11			
B.Sc.(Bio)	120	41	26	12	10	4	12	5	4	6
			38		14		17			
B.Sc.(Maths)	60	21	13	6	5	2	6	2	2	3
			19		7		8			
M.A.I (Hindi)	25	8	5	3	2	1	3	1	1	1
			8		3		4			
M.A. (Geography)	25	8	5	3	2	1	3	1	1	1
			8		3		4			
GRAND TOTAL	**490**	**166**	**157**		**59**		**69**		**15**	**24**

SOURCE:- Prospectus of the own college Session - 2020-21

GKJoshi
प्राचार्य
लाल श्याम शाह
शासकीय नवीन महाविद्यालय
मोहला, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

Scanned by TapScanner

दुर्ग विश्वविद्यालय,दुर्ग(छ.ग.)

प्रपत्र कमांक 01 (2016—17)

COLLEGE NAME- LATE LAL SHYAM SHAH GOVT. NAVEEN COLLEGE MOHLA, DIST- RAJNANDGAON (C.G.)

PRINCIPAL NAME - DR. GHANAT KUMAR JOSHI PHONE NO. 07747-299104 MOBILE NO. 9424109891

E-MAIL ID. -principal_gncmohla@rediffmail.com WEBSITE- www.naveencollege.com

Class Name	GENERAL				SCHEDULED CASTE				SCHEDULED TRIBES				OTHER BACKWARD CLASSES				MINORITY				TOTAL			
	M	F	TG	TOTAL	M	F	TG	TOTAL	M	F	TG	TOTAL	M	F	TG	TOTAL	M	F	TG	TOTAL	M	F	TG	TOTAL
B.A.I	1	0	0	1	8	7	0	15	48	69	0	117	13	19	0	32	0	0	0	0	70	95	0	165
B.A.II	0	1	0	1	2	1	0	3	35	26	0	61	13	13	0	26	0	0	0	0	50	41	0	91
B.A.III	0	0	0	0	3	0	0	3	16	17	0	33	6	8	0	14	0	0	0	0	25	25	0	50
B.Sc.I	0	1	0	1	1	5	0	6	28	46	0	74	14	15	0	29	0	0	0	0	43	67	0	110
B.Sc.II	0	1	0	1	1	4	0	5	14	14	0	28	11	11	0	22	0	0	0	0	26	30	0	56
B.Sc.III	0	0	0	0	4	3	0	7	4	11	0	15	2	10	0	12	0	0	0	0	10	24	0	34
B.COM.I	2	0	0	2	2	0	0	2	7	2	0	9	3	1	0	4	0	0	0	0	14	3	0	17
B.COM.II	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3	0	3	0	3	0	0	0	0	2	4	0	6
B.Com.III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3	3	0	6	21	20	0	41	154	186	0	340	62	80	0	142	0	0	0	0	240	289	0	529

G K Joshi

प्राचार्य
लाल श्याम शाह
शासकीय नवीन महाविद्यालय
मोहला,जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

Scanned by TapScanner

दुर्ग विश्वविद्यालय,दुर्ग(छ.ग.)

प्रपत्र कमांक 01 (2017–18)

COLLEGE NAME- LATE LAL SHYAM SHAH GOVT. NAVEEN COLLEGE MOHLA, DIST- RAJNANDGAON (C.G.)

PRINCIPAL NAME - DR. GHANAT KUMAR JOSHI PHONE NO. 07747-299104 MOBILE NO. 9424109891

E-MAIL ID. -principal_gncmohla@rediffmail.com WEBSITE- www.naveencollege.com

Class Name	GENERAL				SCHEDULED TRIBES				SCHEDULED CASTE				OTHER BACKWARD CLASSES				MINORITY				TOTAL			
	M	F	TG	TOTAL	M	F	TG	TOTAL	M	F	TG	TOTAL	M	F	TG	TOTAL	M	F	TG	TOTAL	M	F	TG	TOTAL
B.A.I	0	4	0	4	37	73	0	110	7	6	0	13	16	16	0	32	0	0	0	0	60	99	0	159
B.A.II	0	0	0	0	14	41	0	55	5	0	0	5	9	15	0	24	0	0	0	0	28	56	0	84
B.A.III	0	1	0	1	42	36	0	78	4	3	0	7	12	17	0	29	1	1	0	2	59	58	0	117
B.Sc.I(Bio)	0	2	0	2	21	43	0	64	5	7	0	12	13	18	0	31	0	1	0	1	39	71	0	110
B.Sc.I(M)	0	0	0	0	2	1	0	3	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	4	1	0	5
B.Sc.II(Bio)	0	0	0	0	12	19	0	31	0	2	0	2	5	5	0	10	1	1	0	2	18	27	0	45
B.Sc.III(Bio)	0	1	0	1	7	7	0	14	2	2	0	4	3	8	0	11	0	0	0	0	12	18	0	30
B.COM.I	0	0	0	0	8	8	0	16	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	9	9	0	18
B.COM.II	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
B.Com.III	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	3	2	0	5
M.A.Hindi (Pre)	0	0	0	0	5	1	0	6	1	0	0	1	2	1	0	3	0	0	0	0	8	2	0	10
M.A.Geo. (Pre)	0	0	0	0	6	3	0	9	0	0	0	0	2	1	0	3	0	2	0	2	8	6	0	14
TOTAL	2	8	0	10	157	234	0	391	25	21	0	46	64	83	0	147	1	4	0	5	249	350	0	599

GKJoshi

प्राचार्य
लाल श्याम शाह
शासकीय नवीन महाविद्यालय
मोहला, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

Scanned by TapScanner

दुर्ग विश्वविद्यालय,दुर्ग(छ.ग.)

प्रपत्र कमांक 01 (2018–19)

COLLEGE NAME- LATE LAL SHYAM SHAH GOVT. NAVEEN COLLEGE MOHLA, DIST- RAJNANDGAON (C.G.)

PRINCIPAL NAME - DR. GHANAT KUMAR JOSHI PHONE NO. 07747-299104 MOBILE NO. 9424109891

E-MAIL ID. -principal_gncmohla@rediffmail.com WEBSITE- www.naveencollege.com

Class Name	GENERAL				SCHEDULED TRIBES				SCHEDULED CASTE				OTHER BACKWARD CLASSES				MINORITY				TOTAL			
	M	F	TG	TOTAL	M	F	TG	TOTAL	M	F	TG	TOTAL	M	F	TG	TOTAL	M	F	TG	TOTAL	M	F	TG	TOTAL
B.A.I	2	2	0	4	41	75	0	116	6	10	0	16	23	21	0	44	0	0	0	0	72	108	0	180
B.A.II	0	5	0	5	26	57	0	83	2	2	0	4	9	17	0	26	0	0	0	0	37	81	0	118
B.A.III	0	0	0	0	13	35	0	48	3	1	0	4	7	14	0	21	0	0	0	0	23	50	0	73
B.Sc.I(Bio)	3	1	0	4	35	43	0	78	4	5	0	9	12	13	0	25	0	0	0	0	54	62	0	116
B.Sc.II(Bio)	0	1	0	1	5	17	0	22	0	2	0	2	6	5	0	11	0	0	0	0	11	26	0	37
B.Sc.III(Bio)	0	1	0	1	7	10	0	17	1	2	0	3	4	2	0	6	0	0	0	0	12	18	0	30
B.Sc.I(M)	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	3	2	0	5	0	0	0	0	6	2	0	8
B.Sc.II(M)	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
B.COM.I	0	0	0	0	9	7	0	16	2	0	0	2	2	5	0	7	0	0	0	0	13	12	0	25
B.COM.II	0	0	0	0	2	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3
B.Com.III	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
M.A.Geo. (I)	0	0	0	0	5	4	0	9	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	8	4	0	12
M.A.Geo. (III)	0	2	0	2	1	3	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	6
M.A.Hindi (I)	0	1	0	1	7	5	0	12	0	0	0	0	3	1	0	4	0	0	0	0	10	7	0	17
M.A.Hindi (III)	0	0	0	0	4	1	0	5	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	5	2	0	7
TOTAL	5	13	0	18	160	259	0	419	18	22	0	40	73	81	0	154	0	0	0	0	256	379	0	635

GK Joshi
प्राचार्य
लाल श्याम शाह
शासकीय नवीन महाविद्यालय
मोहला,जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

Scanned by TapScanner

HEMCHAND YADAV VISHWAVIDYALAYA, DURG (C.G)

FORMAT-1 (2019-20)

COLLEGE NAME- LAL SHYAM SHAH GOVT.NAVEEN COLLEGE MOHLA (C.G.) DIST-RAJNANDGAON (C.G.)

PRINCIPAL NAME :- DR.G.K.JOSHI

E-MAIL.ID-principal_gncmohla@rediffmail.com

CLASS NAME	SUBJECT	GEN.			SC.			ST.			OBC.			TOTAL		
		MALE	FEMALE	TOTAL	MALE	FEMALE	TOTAL	MALE	FEMALE	TOTAL	MALE	FEMALE	TOTAL	MALE	FEMALE	TOTAL
BAI	FC.,POLTI.SCI., SOCIOLOGY, GEOGRAPHY	1	3	4	6	3	9	40	87	127	15	25	40	62	118	180
BAII		0	1	1	1	3	4	24	63	87	10	18	28	35	85	120
BAIII		0	3	3	1	2	3	19	46	65	9	14	23	29	65	94
BSCI (BIO)	FC., ZOOLOGY, BOTANY, CHEMISTRI	4	5	9	5	5	10	27	39	66	14	9	23	50	58	108
BSCII (BIO)		0	1	1	0	0	0	10	15	25	4	7	11	14	23	37
BSCIII (BIO)		0	1	1	1	2	3	10	20	30	5	6	11	16	29	45
BSCI (MATHS)	FC., MATHS, PHYSICS, CHEMISTRI	0	0	0	1	0	1	1	1	2	0	0	0	2	1	3
BSCII (MATHS)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
BSCIII (MATHS)		0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	1	1	2
BCOM.I	FC., ALL COMPULSORY SUBJECT	1	0	1	3	0	3	8	6	14	3	5	8	15	11	26
BCOM.II		0	0	0	0	0	0	2	1	3	1	2	3	3	3	6
BCOM.III		0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
MA. HINDI (PREV.)	COMPULSORY SUBJECT	0	0	0	0	0	0	0	9	9	1	3	4	1	12	13
MA. HINDI (FINAL)		0	1	1	0	0	0	6	4	10	2	1	3	8	6	14
MA. GEO. (PREV.)	COMPULSORY SUBJECT	0	0	0	0	0	0	7	7	14	3	8	11	10	15	25
MA. GEO. (FINAL)		0	0	0	0	0	0	4	4	8	2	0	2	6	4	10
TOTAL		**6**	**15**	**21**	**18**	**15**	**33**	**159**	**304**	**463**	**70**	**98**	**168**	**253**	**432**	**685**

GKJoshi

Principal

Lal Shyam Shah

Govt.Naveen College

Mohla Dist-Rajnandgaon cg.

Scanned by TapScanner

HEMCHAND YADAV VISHWAVIDYALAYA, DURG (C.G)

FORMAT-1 (2020-21)

COLLEGE NAME- LAL SHYAM SHAH GOVT.NAVEEN COLLEGE MOHLA (C.G.) DIST-RAJNANDGAON (C.G.)

PRINCIPAL NAME :- DR.G.K.JOSHI PHONE NO - 07747-249120 , MOBILE NO.- 9424109891

E-MAIL.ID-principal_gncmohla@rediffmail.com

CLASS NAME	GEN.				SC.				ST.				OBC.				MINORITY				TOTAL			
	MALE	FEMALE	THIRD GENDER	TOTAL	MALE	FEMALE	THIRD GENDER	TOTAL	MALE	FEMALE	THIRD GENDER	TOTAL	MALE	FEMALE	THIRD GENDER	TOTAL	MALE	FEMALE	THIRD GENDER	TOTAL	MALE	FEMALE	THIRD GENDER	TOTAL
BAI	0	3	0	3	4	7	0	11	43	81	0	124	25	17	0	42	0	0	0	0	72	108	0	180
BAII	0	2	0	2	3	1	0	4	42	91	0	133	15	26	0	41	0	0	0	0	60	120	0	180
BAIII	2	0	0	2	2	6	0	8	31	74	0	105	16	19	0	35	0	0	0	0	51	99	0	150
BSCI (BIO)	1	5	0	6	7	4	0	11	24	55	0	79	10	14	0	24	0	0	0	0	42	78	0	120
BSCII	3	7	0	10	9	6	0	15	30	38	0	68	15	12	0	27	0	0	0	0	57	63	0	120
BSCIII	0	1	0	1	2	0	0	2	12	14	0	26	7	10	0	17	0	0	0	0	21	25	0	46
BSCI (MATH.)	1	0	0	1	1	0	0	1	2	0	0	2	1	1	0	2	0	0	0	0	5	1	0	6
BSCII	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	3	2	0	5
BSCIII	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	2
BCOM.I	3	0	0	3	3	0	0	3	6	4	0	10	8	2	0	10	0	0	0	0	20	6	0	26
BCOM.II	1	1	0	2	2	0	0	2	9	4	0	13	3	3	0	6	0	0	0	0	15	8	0	23
BCOM.III	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	1	1	0	2	0	0	0	0	3	1	0	4
MA. HINDI (PREV.)	0	0	0	0	1	0	0	1	3	4	0	7	1	0	0	1	0	0	0	0	5	4	0	9
MA. HINDI (FINAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9	0	3	0	3	0	0	0	0	0	12	0	12
MA. GEO. (PREV.)	0	1	0	1	1	0	0	1	6	4	0	10	0	3	0	3	0	0	0	0	7	8	0	15
MA. GEO. (FINAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	7	5	0	12	2	7	0	9	0	0	0	0	9	12	0	21
TOTAL	**11**	**20**	**0**	**31**	**35**	**25**	**0**	**60**	**219**	**384**	**0**	**603**	**107**	**118**	**0**	**225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**372**	**547**	**0**	**919**

GK Joshi

Principal
Lal Shyam Shah
Govt.Naveen College
Mohla Dist-Rajnandgaon cg.

LATE LAL SHYAM SHAH GOVT. NAVEEN COLLEGE MOHLA (C.G.)
DISTRICT - RAJNANDGAON
PHONE NO. 07747-299104, E-mail -principal_gncmohla@rediffmail.com
WEBSITE: www.naveencollege.com

2.1.2 Average percentage seats reserved for various categories (SC,ST,OBC,Divyangjan, etc. as per application reservation policy) during last five years (exclusive of supernumerary seats)

Year	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
Number of actual Students admitted from the reserved categories	255	255	284	284	284
Total Number of seats earmarked for reserved category as per GOI or State Government rule	255	255	284	284	284

The following formula is used for calculation as per the NAAC Manual:

$$= \frac{\textit{Number of actual Students admitted from the reserved categories}}{\textit{Total Number of seats earmarked for reserved category as per GOI or state government rule}} \times 100$$

With the help of the above formula, the percentage per year values is obtained as follows:

Year	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
percentage per year	100	100	100	100	100

Further, with the help of the percentage per year values, average percentage is calculated as follows:

$$\text{Average percentage} = \frac{\sum \text{Percentage per year}}{5}$$

$$= \frac{100+100+100+100+100}{5}$$

$$= \mathbf{100\%}$$

Thus, Average percentage seats reserved for various categories (SC,ST,OBC,Divyangjan, etc. as per application reservation policy) during last five years (exclusive of supernumerary seats) is 100%

GK Joshi
प्राचार्य
स्व.लाल श्याम शाह
शासकीय नवीन महाविद्यालय,मोहला
जिला मोहला –मानपुर –अं. चौकी (छ. ग.)